संख्या-5/2017/वे0आ0-1-467/दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2017**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियें, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2016 एवं 01-01-2017 से बढी हुई दर पर भुगतान।

<u>पठित निम्नलिखित</u>

(1) शासनादेश संख्या-05/2016/वे0आ0-1-430(ए)/दस-2016-42(एम)/2008, दिनांक 13 जून, 2016
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1(3)/2008-ई-।।(बी), दिनांक 07 अप्रैल, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-05/2016-वे0आ0-1-430(ए)/दस-2016-42(एम)/2008, दिनांक 13 जून, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2016 एवं दिनांक 01 जनवरी, 2017 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है -

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-07-2016	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत
01-01-2017	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

3- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

4- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2017 (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

7- राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियेां को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

8- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

9- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

<u>संख्या-5/2017/वे0आ0-1-467(1)/दस-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ व्लाक, नई दिल्ली-110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परार्मशदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11,उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वयन अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, क़षि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3

(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।